प्रवेश के लिए सेकेन्डरी स्कूल स्थान आबंटन पद्वति (एस एस पी ए) प्रणाली

सेकेन्डरी वन में प्रवेश के लिए

↓

यदि सब्सीडाइज्ड एस 1 स्थान पाना चाहते हैं तो

↓

(एसएसपीए) प्रणाली में हिस्सा लेना है तो

- स्वैच्छिक स्थानों के लिए आवेदन प्रत्येक वर्ष जनवरी में देना होता है ।
- पसंदीदा स्कूल के लिए छात्रों को सीधे स्कूल को आवेदन देना होगा और इसके लिए जिलों पर कोई प्रतिबंध नहीं है।
- एस एस पी ए में हिस्सा लेने वाला हर छात्र दो से अधिक स्कूलों में आवेदन नहीं कर सकता वरना उसके प्रवेश पाने में मुीश्कल हो सकती है।

आवश्यकतायें :

- हाँग काँग के निवासी हों
- एसएसपीए में हिस्सा लेते किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हों
- कभी भी सेकेन्डरी वन में स्थान आबंटित नही होना चाहिए

स्वैच्छिक स्थान चरण

स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन करना है

स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन नहीं करना

↓

केन्द्रीय आबंटन चरण

स्कूल चयन फार्म भरें

↓

केन्द्रीय आबंटन

- आबंटन छात्र के स्तर समूह, अभिभावकों की पसंद और रैंडम नंबर के आधार पर कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के जरिये किया जाता है।
- जिन छात्रों को स्वैच्छिक स्थान मिल जाता है उन्हें केंद्रीय आबंटन में स्थान नहीं मिलेगा।

- केंद्रीय आबंटन के लिए आवेदन आम तौर पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल से मई तक देना होता है।
- छात्र किसी भी स्कूल समूह से (जिनमें उनका अपना स्कूल समूह शामिल है) अधिकतम तीन सेकेन्डरी स्कूल और अपने समूह में से अधिकतम 30 स्कूल चुन सकते हैं।

↓

एस एस पी ए नतीजों की घोषणा और पंजीकरण (जुलाई के मध्य में)

पूछताछ

अभिभावकों को यदि और जानकारी चाहिए तो वे ई डी बी के स्कूल प्लेसिस अलोकेशन सेक्शन से संपर्क कर सकते हैं।

पता : Office 2, 2/F, Manulife Financial Centre, 223 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon

टेलीफोन नं.: 2832 7740 / 2832 7700

वैबसाईट: http://www.edb.gov.hk/en/edu-system/primary-secondary/spa-systems/secondary-spa/general-info/index.html

सेकेन्डरी वन प्रवेश के लिए अन्य व्यवस्थाएं

एसएसपीए प्रणाली में शामिल किसी स्कूल में न पढ़ने वाले छात्र यदि नये स्कूल (वर्ष आम तौर पर 1 सितंबर को शुरू होता है) में सेकेन्डरी वन में प्रवेश चाहते हैं तो भले उन्होंने स्वैच्छिक स्थान के लिए आवेदन किया हो, इसके बावजूद वे ई डी बी के स्कूल स्थान आबंटन अनुभाग में मई से अगस्त तक सेकेन्डरी वन स्थान के आबंटन के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं और इसके लिए उन्हें अपने मूल पहचान दस्तावेज साथ लाने होंगे।

स्कूल वर्ष शुरू हो जाने के बाद (एक सितंबर या उसके बाद) सेकेन्डरी वन में प्रवेश पाने के इच्छुक बच्चों नजदीकी क्षेत्रीय शैक्षणिक कार्यालय में निम्नलिखित दस्तावेजों **(मूल दस्तावेज और फोटोकापियों)** के साथ आना होगा:

- पहचान दस्तावेज
- पूर्व हासिल शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण
- आवासीय पते का प्रमाण

क्षेत्रीय शैक्षणिक कार्यालयों के पतों और टेलीफोन नंबरों के लिए कृपया पृष्ठ 14 देखे

सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूलों के अलावा छात्र निजी स्कूलों, अन्तरराष्ट्रीय स्कूलों या प्रत्यक्ष सब्सिडी योजना स्कूलों, जो एसएसपीए सिस्टम में शामिल नहीं हैं, को भी चुन सकते हैं। इन स्कूलों की प्रवेश के लिए अपनी कसौटी, समयसारिणी और प्रशासनिक व्यवस्था है। इन स्कूलों में बच्चों को प्रवेश दिलाने के इच्छुक अभिभावकों को किसी जानकारी अथवा आवेदन फार्म के लिए सीधे स्कूलों से संपर्क करना होगा।